

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :- अवैध | संदेहास्पद जमाबंदी

अभिलेख संख्या :- 42/16-17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गणेश कुमार वाक्यी को अंचल निरीक्षक श्री गणेश कुमार वाक्यी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा बहुधा थाना नं0 692 गैरमजरुआ खाता नं0 24/53 दाग नं0 32 रकबा 01-18-08 किस्म पत्ती बरीय श्री देवी रविदास पिता पानी रविदास साकिन..... के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री देवी रविदास को दिनांक..... समय..... पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

अंचल

अंचल अधिकारी,  
महागामा।

29.7.16

अभिलेख उपस्थापित।

देवी रविदास के पानी रविदास के पौत्र श्री  
गणेश कुमार वाक्यी के तिनडोड़ी रविदास उपस्थापित।  
इन्हे द्वारा अंचलाधिकारी द्वारा Rent fixation के  
संबंधी एड अज्ञात प्रस्तुत किया गया है। साथ ही  
यह भी बताया गया कि संयुक्त इनका संयुक्त जमीन  
ECL द्वारा अधिग्रहित उर लिया गया है। अभिलेख

sandha

अंचल अधिकारी

29/7/16



दिनांक 4.8.16 को रखें।


100  
29/7/16

3 अग्रिलेख उपस्थापित। देवी रविदास पिता चामी रविदास की ओर से कोई व्यक्ति अनुपस्थित। घोड़ा मीन जहाँ अन्य कार्य में व्यस्त। अग्रिलेख दिनांक 11/8/16 को रखें।

100  
4/8/16  
310310

7/8/19

अग्रिलेख उपस्थापित।  
नोटिस निर्गत करें।

  
अंचल अधिकारी  
महागामा

20/6/19

अग्रिलेख उपस्थापित।  
~~नोटिस निर्गत करें।~~  
नोटिस तामिला प्राप्त। विपक्षी भी मोरले  
दाखिल नहीं की गयी।

5/12/20

अग्रिलेख उपस्थापित।  
नोटिस निर्गत करें।


  
अंचल अधिकारी  
महागामा

05.01.2021

अग्रिलेख उपस्थापित।  
राजस्व उपनिवेशक - लक्ष्मी प्रजाती अंचल निरीक्षक महागामा  
के प्रलेख अग्रिलेख का नोटिस प्रसिद्ध करने के साथ अग्रिलेखीय  
प्रमाण प्राप्त हुआ है जिसका आवेदन किया। प्रमाणित  
अनेक लक्ष्मी प्रजाती-11 क्षेत्र को अग्रिलेख क्षेत्र में  
यै प्राप्त है। वर्तमान में उक्त अग्रिलेख ECL क्षेत्र के  
अग्रिलेख क्षेत्र के अंतर्गत है।

अतः उपरोक्त के आलोक में  
अग्रिलेख की कार्यवाही समाप्त की जायेगी।

  
अंचल अधिकारी  
महागामा

  
अंचल अधिकारी  
महागामा।